बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–15 / अ0प्र0–आर0टी0आई0–227 / 2020 5315 अनु0 पटना, दिनांक 26/11/2020

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,
लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / सभी अग्रिम योजना अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार / सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार(प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्राडा / मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना / ग्रामीण पथ विकास अभिकरण)

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः– बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1 / वि0–01 / 2020– 440 दिनांक 21.10.2020 अनुलग्नक सहित।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एंव प्रसंग से संबंधित पत्रों को संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने का निदेश राज्य सूचना आयोग से प्राप्त हुआ है।

पत्र के साथ विहित प्रपत्र संलग्न है, जिसमें वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 दोनों वर्षो का अलग–अलग वाछिंत सूचना आयोग को समेकित कर उपलब्ध कराना है।

इस क्रम में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना विहित प्रपत्र में दो दिनों के अदंर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, जिसे समेकित रूप से बिहार सूचना आयोग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/11/20

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांकः–15 / अ0प्र0–आर0टी0आई0–227 / 2020 5315 पटना, दिनांक 26/11/2020

प्रतिलिपिः– बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1 / वि0–01 / 2020– 440 दिनांक 21.10.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

26/11/20

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कार्यपालक अभियंता

P.T.O.

memo 2020

ज्ञापांकः—15/अ0प्र0—आर0टी0आई0—227/2020 5315 अ0 पटना, दिनांक 26/11/2020

ईमेल प्रतिलिपिः— आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलंब संबंधित पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित ई—मेल पते पर सूचना भेज दी जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

Sd/- 26/11/20

लोक सूचना पदाधिकारी—सह—कार्यपालक अभियंता

memo 2020

(21) आई० टी० मैनेजर

बिहार सूचना आयोग
सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।
दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या 1/वि0–01/2020........440........बि0सू0आ0 पटना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।
महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।
सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–सभी विभाग।
महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।
सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय।
पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं को पूर्ति हो सके।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 (**संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर**) से संबंधित (**दोनों वर्षों का अलग–अलग**) वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से दिनांक–20.11.20 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
20/X/20
(सुरेश पासवान)
सचिव

अनुलग्नक :– प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

varun anual report 16-17,17-18 letter

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में लो0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनो की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0 पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयो के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टिप्पणी– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ध) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणीः– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

कम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

3 copy